

**बिहार सरकार**

**गृह विभाग**

(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

पटना, दिनांक अगस्त, 2016

पत्र संख्या-1/एल01-10-09/2015 गृ0आ0 /श्री रवि रंजन कुमार, भा0पु0से0 (2012), पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज को चिकित्सा कारणों से अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11, 12, 13 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 04.08.2014 से 29.08.2014 तक की अवकाश अवधि को निम्नरूप से अवकाश स्वीकृत कर विनियमित किया जाता है :-

(i) दिनांक 04.08.2014 से 23.08.2014 तक कुल 20 (बीस) दिनों का रूपांतरित अवकाश (20x2 = 40 अर्द्धवैतनिक अवकाश के समतुल्य) ।

(ii) दिनांक 24.08.2014 से 29.08.2014 तक कुल 06 (छः) दिनों का उपाजित अवकाश ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(रंजन कुमार सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-1/एल01-10-09/2015 गृ0आ0

/पटना,दिनांक अगस्त, 2016

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7/प्रभारी ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-1/एल01-10-09/2015 गृ0आ0

/पटना,दिनांक अगस्त, 2016

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-1/एल01-10-09/2015 गृ0आ0 6/16 /पटना,दिनांक 10 अगस्त, 2016

प्रतिलिपि:- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ श्री रवि रंजन कुमार, भा0पु0से0 (2012), पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।